

फार्म डी-1
(देखें नियम-4)
चुनिदा राजकोषीय संकेतक

| मद | पिछला वर्ष 2022-23 (वास्तविक) | पिछला वर्ष 2023-24 | चालू वर्ष 2023-24 (संशोधित अनुमान) |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा | 1.01 | 2.99 | 5.81 |
| 2. सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा | -185.15 | 53.35 | -6.50 |
| 3. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा | -1.85 | -0.69 | 3.09 |
| 4. टीआरआर के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा | -9.15 | -3.30 | 14.07 |
| 5. कुल देयताएं- जीएसडीपी अनुपात (%) | 21.90 | 22.24 | 25.00 |
| 6. कुल देयताएं- कुल राजस्व प्राप्तियां (%) | 108.33 | 106.79 | 117.70 |
| 7. कुल देयताएं- राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%) | 210.24 | 201.41 | 222.14 |
| 8. राजस्व व्यय के प्रति राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%) | 56.72 | 54.83 | 46.44 |
| 9. सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय | 283.94 | 122.77 | 72.39 |
| 10. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान | 6.80 | 6.53 | 6.32 |
| 11. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन व्यय | 26.29 | 28.37 | 27.30 |
| 12. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में पेंशन व्यय | 8.15 | 6.71 | 6.40 |
| 13. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में विकासेतर व्यय | 21.77 | 20.92 | 19.03 |
| 14. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में केन्द्र से सकल अंतरण | 45.98 | 40.99 | 35.22 |
| 15. टीआरआर के प्रतिशत के रूप में करेतर राजस्व | 30.25 | 31.32 | 27.84 |